आसीन्द्र श्री v. बालू श्री भारी वि० आसीन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.07.2017–	पत्रावली चिन्हित होने से लोक अदालत केम्प पर तलब की गयी। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द के आराजी नम्बंर 3170, 3170/7022, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3622 किता–12 रकबा 2.48 है0 भूमि स्थित होकर आराजी पुरतेनी एंव कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी में भगवतीलाल के हिस्से 1/4 जो की वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 से 03 तक के नाम दर्ज है। जिसमें से प्रार्थी संख्या 01 का 1/4 सम्पूर्ण आराजी में से 1/16 तथा प्रत्येक विपक्षी सख्या बालू पिता भगवतीलाल के हिस्से मे 1/5 हक हिस्से में खातेदारी की घोषणा कराने व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने तक विपक्षी संख्या 01 से 03 तक को ताफैसला मूल वाद के निसतारण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना फरमावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगणो को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर विपक्षीगण मय प्रतिनिधि बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही होने व जवाब पेश नही करने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। अतः दौराने केम्प पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन एंव अध्ययन किया गया उपस्थित पक्षकारान/ अधिवक्ता को सूना गया कि विवादित आराजीयात पुस्तेनी होना प्रकट आया है। उक्त आराजी पुस्तेनी होना एंव विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से दखल होना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र उचित पाये जाने से प्रार्थना पत्र न्यायालय स्वीकार किया जाना उचित समझता है। :: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगणो को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द के आराजी नम्बंर 3170, 3170/7022, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3622 किता–12 रकबा 2.48 है0 भूमि के मौके एंव राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे तथा आराजी का रहन, बैचान, बख्सीस आदि नही करे ना किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर होकर नम्बंर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को लोक अदालत केम्प मोड का निम्बाहेडा पर लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया। (बलवन्तसिहं लिग्री) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आसीन्द (भीलवाडा) लोक अदालत-2017	सहायक कलक्टर, आसीन्द (भीलवाड़ा) लोक अदालत-2017

Scanned by CamScanner